speed Post

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-884/JH/15/2023-SSW

दिनांक: 25/05/2023

श्री नीरज शाह
डीजीपी,
झारखंड सरकार,
रांची, (झारखंड) 834007
(फोन - 0651-240 0737)

विषय: झारखंड पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ पदोन्नति में भेद भाव करने के संबंध में:- अध्यक्ष, अनुसूचित जाति / जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (पंजी) , झारखंड का दिनांक 07.12.2022 का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **अध्यक्ष, अनुसूचित जाति / जनजाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ (पंजी) , झारखंड** से दिनांक 07/12/2022 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर** आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** भी जारी कर सकता है ।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. The President,
All India Confederation of SC/ST Organisations (Regd.)
In Front Of Bhudhiya School,
New Area, Morahabadi, Ranchi,
Jharkhand - 834008
(Mobile No:8709712396)
(Email: lmoraon@gmail.com)

2. NIC, NCST (please upload on the website)